न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.89 / प्रा.पत्र / 2022 (GCMS No. 2022 / 164)	17.08.2022	24.03.2025

1. प्रहलाद आ.बेजनाथ जाति मीणा, निवासी ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
2. केदारलाल आ.बेजनाथ जाति मीणा, नि0 ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
3. सूरजमल आ.बेजनाथ जाति मीणा, निवासी ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
4. ओमप्रकाश आ.केसरीलाल जाति मीणा, नि. ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
5. धनराज आ. केसरीलाल जाति मीणा, नि. ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
6. हंसराज आ. केसरीलाल जाति मीणा, नि. ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
7. कस्तुरी बेवा केसरीलाल जाति मीणा, नि. ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
4. ओमप्रकाश आ.केसरीलाल जाति मीणा, नि. ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ
5. इन्द्रा पुत्री केसरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोटाखुर्द तह.इन्द्रगढ

— प्रार्थीगण

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जर्ये परियोजना निदेशक, परियोजना कियान्वयन इकाई, सवाई माधोपुर मकान नं.12 श्यामसरोवर पटेल नगर, आलनपुर सवाई माधोपुर (राज.)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
3. नायब तहसीलदार लाखेरी
4. रामचरण आ. मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ, जिला बून्दी।

— अप्रार्थीगण

कार्यवाही मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित—

प्रार्थीगण की ओर से श्री कैलाश गुप्ता, एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री संजय कुमार जैन, एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम कोटाखुर्द, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा संख्या 250 रकबा 1.9400 हैक्टेयर में से 1.02120 हैक्टेयर एवं ख.सं. 251 रकबा 1.9500 हैक्टेयर में से 0.9270 हैक्टेयर बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 250 व 251 में से अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे की राशि में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु अवार्ड संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व अनुभाग से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 89/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/164 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 21.02.22 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी सं. 4 बावजूद सूचना रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 10.03.25 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि अवाप्तशुदा भूमि सहित कुल रकबा 38 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम कोटाखुर्द प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से पर खाते दर्ज करने हेतु अधिकार घोषणा के वाद में न्यायालय सहायक कलेक्टर के0पाटन से दिनांक 05.02.1976 को निर्णय हुआ था और इस निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 02.06.1976 से बहाल रखा गया था, जिसकी द्वितीय अपील सं. 131/1979 रामकंवरी विधवा बेजनाथ मीणा बनाम रामचरण पुत्र मांगीलाल मीणा वगै. न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 28.01.1987 को स्वीकार की गई थी, जिसके द्वारा अपीलांट पक्ष श्रीमती रामकंवरी बेवा बैजनाथ, प्रहलाद, रामकिशन, सूरजमल पि.बैजनाथ मीणा को आधे हिस्से का सहखातेदार घोषित कर दिया गया था। इस निर्णय में व डिक्री में भूमि खसरा सं. पुराना 76/1, 77 मिन, 85, 140/1, 140 मिन, 166, 167, 667 एवं 755 कुल किता 9 कुल 38 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम कोटाखुर्द थे। उक्त खसरा नम्बरान में अवाप्त भूमि के वर्तमान खसरा सं. 250 एवं 251 के गत बंदोबस्ती खसरा सं. 140 मिन एवं 140/1 है। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित डिक्री का अमल राजस्व अभिलेख में नहीं किये जा सकने के कारण प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी में वाद संख्या 57/2012 प्रहलाद आ. बैजनाथ वगै. बनाम रामचरण पुत्र मांगीलाल वगै. वास्ते खातेदारी अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा बटवारा कृषि भूमि

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रस्तुत कर रखा है जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 44/2012 अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0एक्ट में आदेश दिनांक 18.04.2019 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है कि वादग्रस्त भूमि में आधा हिस्सा प्रार्थीगण का है और आधा हिस्सा अप्रार्थी रामचरण का है, किन्तु बंदोबस्त के पश्चात अवैध रूप से विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी रामचरण के खाते दर्ज कर दी गई है जो सर्वथा गलत है, क्योंकि बंदोबस्त विभाग को खाता बदलने का अधिकार नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी ने खसरा संख्या 250 व 251 की भूमि सहित अन्य कृषि भूमि में प्रार्थीगण ने 1/2 हिस्से में दखलअंदाजी नहीं करने, रहन, बेचान, खुर्द-बुर्द नहीं करने एवं किसी प्रकार का मुआवजा नहीं उठाने हेतु अप्रार्थी रामचरण को एवं उसके परिवारजनों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया गया है जो अभी तक प्रभावी है, मूल वाद लम्बित है।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.10.2018 को भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी को आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि भूमि खसरा संख्या 250, 251 का आधा मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाया जावे किन्तु प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं कोई सूचना दिये बिना मुआवजा दिये जाने का आदेश अप्रार्थी क.सं. 4 रामचरण के पक्ष में जारी कर दिया गया है। प्रार्थीगण 1/2 हिस्सा भूमि पर मौके पर निरन्तर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। यदि अवाप्त भूमि का मुआवजा अप्रार्थी रामचरण को भुगतान कर दिया गया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी और खातेदारी अधिकार घोषणा का वाद निष्फल हो जावेगा तथा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से पारित डिक्री प्रभावहीन हो जावेगी। भूमि अवाप्त अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी ने अवाप्त की गई भूमि के बाबत मौके की स्थिति प्रार्थीगण के कब्जे एवं न्यायालय की डिक्री के बाबत जांच नहीं की है, जबकि न्यायालय में लंबित वाद एवं पूर्व निर्णित वाद में राजस्थान राज्य पक्षकार है। प्रार्थीगण को भूमि अवाप्ति के बारे में कोई सूचना नहीं दिये जाने से अवार्ड पारित करने के बाबत जानकारी नहीं मिली। दिनांक 13.09.2021 को प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय लाखेरी में पूछताछ की और उसी दिन आवेदन करके अवार्ड की नकल प्राप्त की। इस प्रकार जानकारी की तिथि से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अवधि प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर भी प्रार्थना प्रस्तुत करने में विलंब माना जावे तो उसे क्षमा किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 250 व 251 में से अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे की राशि में से 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण को दिये जाने हेतु अवार्ड संशोधित किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली–बडोदरा के निर्माण हेतु लोक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3(क) की उपधारा (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के विरूद्ध उस भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 3–ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 05.09.2018 के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई। जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 जारी की गयी, जिसका राजस्थान पत्रिका व नवज्योति दोनों दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 09.02.2019 को प्रकाशन करवाया गया। सभी हितबद्ध व्यक्तियों से धारा 3जी(3) व (4) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी कर स्वयं या विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दावे/क्लेम आमंत्रित किये जाकर दिनांक 03.05.2019 को विधिवत सुनवाई की जाकर दावों का अनुज्ञात किया गया। धारा 3–डी(1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें अवाप्तशुदा भूमि भी सम्मिलित है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3(जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिये परिसम्पत्ति का मूल्यांकन, सत्यापन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि ग्राम कोटाखुर्द की आराजी खसरा सं.250 किस्म नहरी–I रकबा 1.0120 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 251 किस्म नहरी–I रकबा 0.9270 हैक्टेयर निजी खाते दर्ज भूमि का खातेदार रामचरण पुत्र मांगीलाल जाति मीणा हिस्सा पूर्ण है। उक्त भूमि खसरा सं. 250 की मुआवजा राशि डामरीकृत सडक व आबादी से 100 मीटर की परिधि की चयनित बाजार दर रू. 28,27,000/– प्रति हैक्टेयर एवं खसरा सं. 251 की मुआवजा राशि डामरीकृत सडक व आबादी से 100–500 मीटर की परिधि की चयनित बाजार दर रू.17,29,800/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार निर्धारित की गई है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में स्वामित्व का विवाद होने के कारण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3एच(4)

जिला कलेक्टर, बून्दी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के तहत प्रकरण न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के आदेशानुसार ही अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान होना है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वरा अपने प्रार्थना पत्र में स्वामित्व का प्रश्न उठाया है। जिसको निर्णित करने का इस न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। विधि के प्रावधानानुसार माननीय न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम ज्यादा के संदर्भ में ही निर्णय पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अवाप्तशुदा भूमि की जो मुआवजा राशि अधिनिर्णय आदेश कमांक 1011 दिनांक 19.06.219 के द्वारा निर्धारित की गई है वह पूर्णतः विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम निर्धारित की गई है। ऐसे में प्रार्थीगण उक्त भूमि बाबत नियमानुसार कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण में ग्राम कोटाखुर्द की अवाप्त की गई भूमि खसरा संख्या 250 व 251 बाबत पेश किया जाकर उक्त भूमि में से आधे हिस्से की मुआवजा राशि प्रार्थीगण को दिलाये जाने का निवेदन किया गया है, जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 का कथन रहा है कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में स्वामित्व का विवाद होने के कारण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3एच(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के तहत प्रकरण न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी के आदेशानुसार अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान होना है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोटाखुर्द की आराजी खसरा सं. 250 रकबा 1.0120 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 251 रकबा 0.9270 हैक्टेयर किस्म नहरी–I का खातेदार रामचरण पुत्र मांगीलाल जाति मीणा हिस्सा पूर्ण दर्ज रेकार्ड है। इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148 एन दिल्ली से बडौदरा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान अवाप्त की गई उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि के खातेदार रामचरण के पक्ष में मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

जहां तक उक्त अवाप्तशुदा भूमि के आधे हिस्से का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलाये जाने बाबत मध्यस्थता अधिनियम के तहत यहां पेश हस्तगत प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो इस संबंध में National Highway Act 1956 की धारा 3-G (5) में उल्लेखित है कि "If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or sub-section (2) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government. " विधि के उक्त प्रावधान के अनुसार यह न्यायालय मात्र मुआवजा राशि के कम या ज्यादा के संदर्भ में ही आदेश पारित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं को सुनने व तय करने का कोई क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 में प्रार्थीगण द्वारा उनके खाते की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि कम निर्धारित किये जाने को चुनौती नहीं दी जाकर, अवाप्तशुदा भूमि पर स्वामित्व का विवाद होने से मुआवजे की आधी राशि भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण इस कार्यवाही में यहां कोई राहत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी